B.

Certificate of Registration

CERTIFIED that the application, made by L. Braj Bhushan, Banarsi Das B. Mathura Prasad Mehrotra, B. Har Prasad, B. Brij Basi Prasad and others

under section 8, sub-section (2), clause (*a*) (*b*) of the Co-operative Societies Act, II of 1912, to be registered, as the U. P. Cooperative Union Ltd. society has been accepted, and that the said society has been registered as No. 391 of district Lucknow subject to the conditions stated in the said application and to the provisions of the said Act, of the rules made and general or special orders issued thereunder and of the bye-laws of the society.

Dated Lucknow,
July 9, 1928.

Registered No. 4

Registrar, Co-operative Societies

सनद रजिस्टर होने का सार्टीफिकेट

तसदीक की जाती है कि जो दरख्वास्त को प० ब्रजभूषण लाल ... बनारसी दास, बा० मथुरा प्रसाद मेहरोत्रा, बा० हर ... प्रसाद, बा० ब्रिज बासी प्रसाद ... वगैरह

ने इस गरज से दी है कि दफा ८ व दफा माजहत (२) फिकरा (ब) (व) ... सभा नं० २ स० १९१२ के मुताबिक यू० पी० कोऑपरेटिव यूनियन ... रजिस्टर की जाय वह मंजूर कर ली गई और वह सभा नं० ३९१ ... जिला ... उन शर्तों की पाबन्दी से जो उस दरख्वास्त में लिखी हैं ... लिखे हुए ऐक्ट ... उनके मुताबिक बने हुए नियमों को ... के ... किये गये हों और सभा के कायदों के ... की पाबन्दी से ... में दर्ज कर ली ...

दिनांक 27.6.29

उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव यूनियन लिमिटेड,

लखनऊ

की

उपविधियां

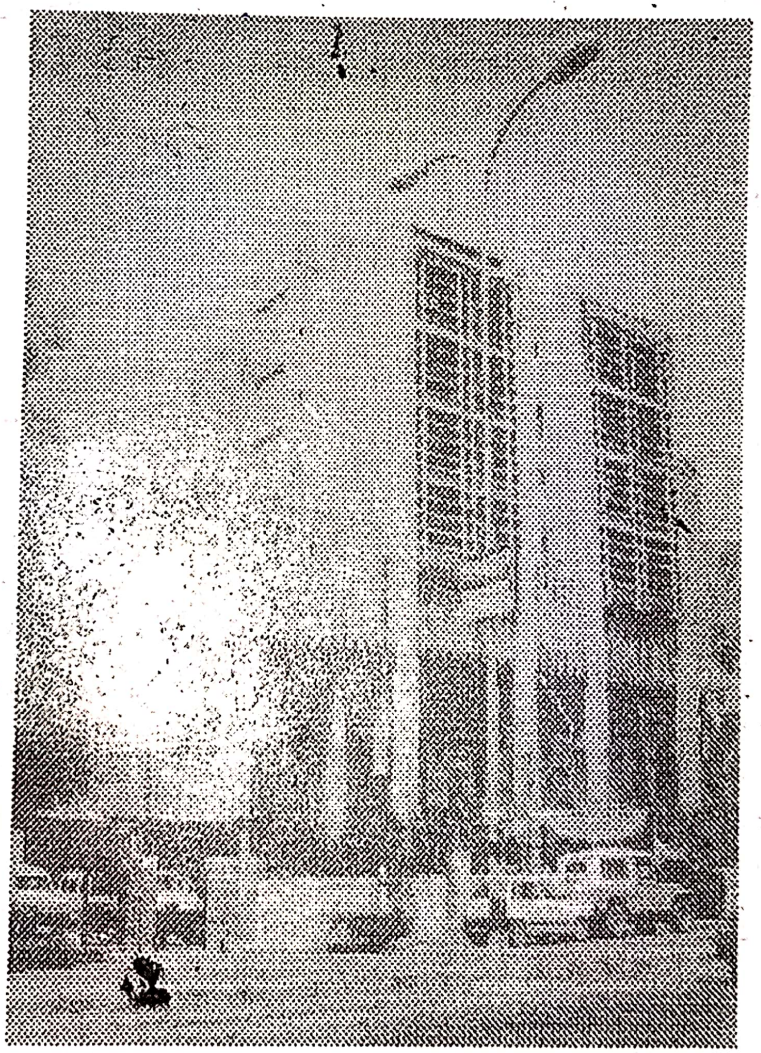

निबंधन संख्या 391 दिनांक जुलाई 9,1928

अंतिम संशोधन की तिथि [illegible]

उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव यूनियन लिमिटेड, लखनऊ

की

उप–विधियां

१– नाम, पता और कार्यक्षेत्र

(क) समिति का नाम उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव यूनियन लिमिटेड होगा और इन उपविधियों में इसका उल्लेख पी०सी०यू० अथवा यूनियन नाम से भी किया जा सकेगा।

(ख) इसका पंजीकृत पता ५५, विधान सभा मार्ग, लखनऊ होगा। संचालक मण्डल को इसे बदलने का अधिकार होगा किन्तु ऐसा करने के एक माह पूर्व इसे निबंधक को उसकी पूर्व सूचना दे देनी होगी तथा उसका प्रकाशन यूनियन की पत्रिका सहकारिता में कराना और ऐसे अन्य तरीकों से कराना होगा जो नियमों के अन्तर्गत निर्दिष्ट हो।

(ग) यूनियन का कार्यक्षेत्र उत्तर प्रदेश राज्य तक सीमित रहेगा।

२– परिभाषा

इन उपविधियों में जब तक विषय या प्रसंग में कोई बात विपरीत न हो, तब तक :–

(क) "अधिनियम" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव सोसाइटीज एक्ट १९६५ (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १५ १९६५) तथा जैसा वह समय–समय पर बाद में संशोधित या परिवर्द्धित होगा, से है।

(ख) "नियमों" का तात्पर्य अधिनियम के अन्तर्गत बनाये गये नियमों से है।

Scanned with OKEN Scanner

*(ग) "वर्ष" का तात्पर्य १ अप्रैल से आरम्भ होने और 31 मार्च को समाप्त होने वाले सहकारी वर्ष से है।

(घ) "मण्डल" का तात्पर्य उस क्षेत्र से है, जो किसी राजस्व मण्डल के समसीम हो अथवा जो निबंधक द्वारा किसी मण्डलीय उप निबंधक के अधिकार में सहकारिता विभाग के किसी प्रदेश के रूप में सीमांकित किया गया हो।

(ङ) "यूनियन" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव यूनियन लिमिटेड से है और उसे पी०सी०यू० नाम से भी अभ्युदिष्ट किया जा सकेगा।

(च) उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव यूनियन के अधिकारी का तात्पर्य अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रबंध निदेशक, संचालक मण्डल के सदस्य, कोषाध्यक्ष, अवसायक, प्रशासक अथवा कोई भी अन्य व्यक्ति जिसे पारिश्रमिक सहित या बिना पारिश्रमिक के यूनियन के व्यापार का संचालन करने का उसकी गतिविधियों का पर्यवेक्षण करने के लिये यूनियन द्वारा नियुक्त किया गया हो, से है।

(छ) "सहकारी समिति" का तात्पर्य ऐसी समिति से है जो उत्तर प्रदेश सहकारी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत हो अथवा पंजीकृत किये जाने योग्य हो।

(ज) "केन्द्रीय समिति" का तात्पर्य ऐसी सहकारी समिति से है जिसमें कोई अन्य सहकारी समिति इसके साधारण सदस्य के रूप में सम्मिलित हो और जो प्राथमिक सहकारी समिति के श्रेणी में न आती हो।

(झ) "जिला/केन्द्रीय सहकारी बैंक" से तात्पर्य ऐसी सहकारी समिति से है जिसका मुख्य उद्देश्य उन सहकारी समितियों को रूपया उधार देना है जो उसके सदस्य है।

(ञ) "जिला सहकारी बैंक" का तात्पर्य उस केन्द्रीय सहकारी बैंक से है जिसका प्रधान कार्यालय जिले के मुख्यावास पर स्थित हो।

* उप निबंधक (के०) सहकारी समितियां, उ०प्र० लखनऊ के आदेश/पत्रांक ४११७–२०/विधि–निबंधन, दिनांक १४.६.६५ द्वारा संशोधित।

(ट) "राज्य सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार से है।

(ठ) "राज्य" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य से है।

(ड) "निबंधक" का तात्पर्य अधिनियम में परिभाषित सहकारी समितियों के निबंधक से है।

(ढ) "अपर निबंधक, उप निबंधक तथा जिला सहायक निबंधक" से तात्पर्य अधिनियम की धारा २ में परिभाषित निबंधक के नियंत्रण में इन पदों पर कार्यरत अधिकारियों से है।

(य) "प्राधिकारी संघ" का तात्पर्य शासकीय अधिसूचना संख्या सी २६/२–१२ सी–७६ दिनांक १३ फरवरी १९७६ के अनुसार अधिनियम की धारा १२३(१) के अधीन "सहकारी संघ प्राधिकारी" के रूप में मान्यता प्राप्त कर उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव यूनियन लिमिटेड से है।

(द) "पर्यवेक्षण परिव्यय" का तात्पर्य उस धन से है जो सहकारी पर्यवेक्षकों और अपने अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान करने तथा अपने उद्देश्यों की सिद्धि हेतु अन्य संभाव्य खर्चों के रूप में यूनियन द्वारा व्यय किया जाये।

३– उद्देश्य

(अ) यूनियन के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित होंगे :–

(१) सहकारी आन्दोलन का विकास करना उसे मजबूत बनाना और उसकी अभिरक्षा करना, सहकारिता को इसके विभिन्न रूपों में सुसंगठित करना और उसकी समुन्नति करना, सहकारी नीति संबंधी विषयों में सहकारी विभाग को सुझाव देना।

(२) यूनियन की गतिविधियों का (अ) भारत या भारतेतर ऐसे सहकारी संगठनों के साथ तथा, (ब) किसी राज्य या केन्द्रीय सरकार के ऐसे विभागों के साथ समपदीकरण स्थापित करना जिनके उद्देश्य पूर्णतः या आंशिक रूप में यूनियन के उद्देश्यों के समान हों।

(३) सामान्य प्रयासों की सफलता हेतु राज्य भर की सहकारी संस्थाओं को एक दूसरे के निकट संपर्क में लाना और उनके मध्य सामुदायिक लाभ की भावना उत्पन्न करना।

(४) सहकारी सिद्धान्तों एवं प्रयोगों का प्रसार करने तथा उन्हें लोकप्रिय बनाने हेतु आवश्यक कदम उठाना और इसके लिये एक मुद्रणालय (छापेखाने) तथा एक पुस्तकालय का निर्माण करना, सहकारिता एवं ग्राम–विकास तथा उनसे संबंधित विषयों पर समाचार पत्रों एवं अन्य साहित्य का प्रकाशन कराना और सहकारिता एवं उसके सहयोगी विषयों से संबंधित दृश्य श्रंव्य साधनों जैसे चलचित्रों आदि के उत्पादन की व्यवस्था करना और सहकारी प्रचार–वाहनों के रखरखाव की व्यवस्था करना एवं स्वयं उनको रखना और उनका खर्च उठाना, सम्मेलन, नाटक, प्रदर्शनियों और वाद–विवाद एवं लेख प्रतियोगितायें तथा अध्ययन भ्रमण गोष्ठियां संगठित करना।

(५) सहकारी समितियों के वैतनिक तथा अवैतनिक कार्य–कर्ताओं तथा निबंधक की अनुमति से अन्य संबंधित गैर सहकारी संस्थाओं के कर्मचारियों, यदि संभव हो, को प्रशिक्षण सुविधा प्रदान करना इस प्रयोजन हेतु सहकारी प्रशिक्षण केन्द्रो का धारण, संचालन प्रशासन एवं नियंत्रण करना, पाठ्यक्रम तैयार करना, परीक्षा लेना तथा प्रमाण–पत्र देना।

(६) सहकारी समितियों के सदस्यों, संभावित सदस्यों, पदाधिकारियों, कर्मचारियों एवं युवकों व महिलाओं को तथा विद्यालयों व अन्य संगठनों में सहकारी दर्शन सिद्धांत एवं व्यवहार की शिक्षा की व्यवस्था हेतु सहकारी शिक्षा कार्यक्रम का कार्यान्वयन करना। इस प्रयोजन हेतु सचल इकाईयों की स्थापना, संचालन एवं प्रशासन करना।

(७) सहकारिता से सम्बद्ध समस्याओं के अध्ययन तथा उनसे संबंधित शोध कार्य को प्रोत्साहित करना।

(८) सहकारी समितियों के सदस्यों में नैतिक, भौतिक एवं सामाजिक सुधार लाने का प्रयास करना।

(९) अधिनियम और नियमों में की गयी व्यवस्था के अनुसार यूनियन के समस्त कर्मचारियों के लिये भविष्य निधि की स्थापना करना तथा उसके रखरखाव की व्यवस्था करना।

(१०) इन उपविधियों के अनुसार यूनियन की आय के साधनों की वृद्धि करना तथा इस प्रकार बढ़ाई हुई आय का उचित उपयोग करना।

*(अ)(ii) सामान्य/जीवन बीमा संबंधी व्यवसाय/कार्य किसी बीमा कंपनी की एजेंसी लेकर अथवा बीमा कंपनी के रूप में करना।

(ब) यूनियन के गौण उद्देश्य इस प्रकार होंगे :–

(१) अधिनियम की धारा १२२ तथा १२३ में वर्णित उपबंधों के अनुसार प्राधिकारी संघ के रूप में संबद्ध समितियों अथवा सदस्य समितियों से संबद्ध समितियों के पर्यवेक्षण के लिये समस्त आवश्यक व्यवस्था करना सहकारी पर्यवेक्षकों, कामदारों तथा अन्य कर्मचारियों की सेवा का विनियमन करना।

(२) जिला/केन्द्रीय बैंकों के साथ पारस्परिक संबंधों को बढ़ावा देना और जिला सहकारी यूनियनों, यदि कोई हों और अन्य समितियों जिनके उद्देश्य यूनियन के उद्देश्यों के समान हों, के कार्यों में सहयोग प्रदान करना।

(३) सहकारिता एवं संबद्ध विषयों संबंधी साहित्य एवं पुस्तकों के क्रय विक्रय का उपक्रम करना।

(४) यूनियन के उद्देश्यों की सिद्धि के लिये आवश्यकतानुसार अचल संपत्ति उपार्जित करना, क्रय करना, उस पर स्वामित्व प्राप्त करना अन्यथा उसे विक्रय द्वारा पटटे पर देकर या अदला–बदली करके समाप्त करना।

(५) सहकारिता आन्दोलन के विकास हेतु भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ (नेशनल कोआपरेटिव यूनियन आफ इंडिया) और भारतीय सहकारी कांग्रेस के नीति निर्देशक निर्णयों का पृष्ठांकन करना

* उपनिबंधक (के०) सहकारी समितियां उ०प्र०लखनऊ के आदेश/पत्रांक १०००–०४/विधि दिनांक २०.५.६६ द्वारा संशोधित

कोआपरेटिव यूनियन लि. • 14, डा. अम्बेडकर

Scanned with OKEN Scanner

और उनके कार्यान्वयन हेतु प्रयास करना, आवश्यकतानुसार भवन निर्माण तथा धारण करना एवं किराये पर देना व संपर्क सहकारी अधिकरण के नाते आडीटोरियम, अतिथि कक्ष का धारण, व्यवस्था आवंटन करना और किराया निर्धारित एवं प्राप्त करना।

(६) ऐसे कार्य करना या ऐसे कर्तव्यों का निर्वाह का उपक्रम करना जो राज्य सरकार या निबंधक या भारतीय राष्ट्रीय सहाकरी संघ द्वारा यूनियन में निहित किये जायें।

(७) आमतौर पर अन्य सभी वे कार्य करना जो उपरोक्त किसी एक या सभी उद्देश्यों की पूर्ति के लिये आनुसंगिक अथवा सहायक हों।

(८) सहकारी प्रेस का धारण एवं संचालन करना। आंतरिक तथा वाह्य प्रकाशन एवं छपाई कार्य करना। आपातकाल में बाहरी श्रोतों से छपाई कराना।

(९) सहकारिता आंदोलन के प्रोत्साहन हेतु निबंधक की अनुमति से अन्य सहकारी क्रिय एवं व्यवसाय करना।

४– सदस्यता

इन उपविधियों में दिये हुये उपबंधों के अधीन जिनकी सदस्यता समाप्त कर दी गयी है या जिन्होंने अपने नाम वापस ले लिये हैं उन्हें छोड़कर इन उपविधियों के पंजीकरण के दिन तक जो व्यक्ति सदस्य थे वे और इन उपविधियों के अनुसार सदस्य के रूप में सम्मिलित किये गये अन्य लोग, यूनियन के सदस्य होंगे।

पूर्ववर्ती उपबंधों के अनुसार यूनियन की सदस्यता इस प्रकार होगी: –

(अ) सदस्य समितियां (साधारण सदस्य)

(१) शीर्षस्थ समितियां

(२) जिला/केन्द्रीय सहकारी बैंक

(३) क्रम संख्या (२) के अन्तर्गत आने वाली समितियों से भिन्न ऐसी समितियां जिनका कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण जिले से कम न हो।

(४) अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत सहकारी विपणन समितियां।

(५) विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत प्रारम्भिक सहकारी समितियां।

(ब) नाम मात्रिक सदस्य

(१) वह व्यक्ति जिसके साथ यूनियन कारोबार करती हो या करने का विचार रखती हो, नाम मात्र सदस्य बनाया जा सकता है।

(२) नाम मात्र सदस्य को यूनियन के लाभ में कोई हिस्सा पाने का अधिकार न होगा और न वह संचालक मंडल की सदस्यता के लिये पात्र होगा और न मतदान करने का अधिकारी होगा।

(स) पदेन सदस्य

अर्थात निबंधक, सहकारी समितियां, उ०प्र० निबंधक कार्यालय से संबद्ध अतिरिक्त निबंधक, सहकारी समितियां, उ०प्र० और ऐसे उपनिबंधक जो निबंधक, सहकारी समितियां, उत्तर प्रदेश के अधीन किसी राजस्व प्रखन्ड के अधिकारी हों।

*(द) राज्य सरकार

५– उपविधि ४ में उल्लिखित श्रेणियों के सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी प्रकार के सदस्यों की सदस्यता इन उपविधियों के पंजीकरण के दिनांक से समाप्त हो जायेगी यदि उन्हें यूनियन के सदस्यों की किसी श्रेणी में समायोजित करना संभव न होगा।

६– जिला सहकारी यूनियन का संगठन और अधिनियम के अधीन उसका पंजीकरण होने और उसे यूनियन की सदस्यता प्राप्त होते ही उस जिले की वे सभी समितियां जो उपविधि ४(अ) (२)से(५) के अन्तर्गत उल्लिखित हैं सदस्यता से अलग हो जायेगी। उनकी सदस्यता संबंधित जिला सहकारी यूनियन को उन सभी अधिकारों विशेषाधिकारों एवं दायित्वों के साथ स्थानांतरित हो जायेगी जो जिला सहकारी यूनियन की उपविधियों में विनिहित हो।

* निबंधक सहकारी समितियां उ०प्र०लखनऊ के आदेश/पत्रांक ५७९–८२/शिक्षा – बजट दिनांक १६.११.९६ द्वारा संशोधित

Scanned with OKEN Scanner

७— यूनियन का कोई भी सदस्य, सदस्य के अधिकारों का प्रयोग तब तक नहीं करेगा जब तक उसने सदस्यता के संबंध में यूनियन को उस धनराशि का भुगतान न कर दिया हो अथवा उपविधियों में निर्दिष्ट हों।

८— यूनियन के सदस्य को चाहे यूनियन की पूंजी में हित की मात्रा कितनी ही क्यों न हों, यूनियन के प्रशासन में एक मत (वोट) प्राप्त होगा —

प्रतिबंध यह है कि :—

यदि कोई सहकारी समिति, यूनियन की सदस्य हो तो ऐसी सहकारी समिति के ऐसे प्रत्येक प्रतिनिधि को, जो उपविधियों के अनुसार यूनियन के सामान्य निकाय में नियुक्त किया गया हो, एक मत प्राप्त होगा।

९— प्रत्येक प्रतिनिधि तथा प्रत्येक नाम निर्दिष्ट व्यक्ति यूनियन के प्रशासन में स्वयं मतदान करेगा और किसी सदस्य, प्रतिनिधि अथवा नाम निर्दिष्ट व्यक्ति को दूसरे के माध्यम से मतदान करने की अनुज्ञा नहीं प्रदान की जायेगी।

१०— सदस्यों की अर्हतायें, अनर्हतायें, मताधिकार, अपनयन, निष्कासन और दण्ड की व्यवस्था इस प्रकार होगी जिस प्रकार अधिनियम, नियमों और इन उपविधियों में निर्दिष्ट हों।

११— सदस्य बनाये जाने हेतु उपविधि संख्या १५(ब) में रू० १० वार्षिक शुल्क सहित एक प्रार्थना पत्र यूनियन के प्रबंध निदेशक को प्रेषित करना होगा। प्रार्थी सहकारी समिति को अपने प्रार्थना—पत्र के साथ अपने व्यवस्थापक मंडल का प्रस्ताव भी संलग्न करना चाहिये उपविधि—४(ब) और ४(स) में निर्दिष्ट श्रेणियों के सदस्यों से शुल्क (चंदा) नहीं लिया जायेगा।

१२— सदस्यता हेतु प्राप्त ऐसे प्रत्येक प्रार्थना पत्र पर यूनियन की संचालक मंडल द्वारा विचार किया जायेगा और उसे अधिकार होगा कि वह चाहे तो प्रवेश स्वीकृति करे अथवा कारणों को अभिलेख करने के उपरांत अस्वीकृत कर दे।

१३— किसी सदस्य को यूनियन की सदस्यता से हटाया जा सकता है। (१)— ऐसे तरीके और कारणों से जो अधिनियम और नियमों में निर्दिष्ट हों, (२)— बिना उचित कारण के लगातार दो सत्र तक चंदा/अंशदान बकाया हो जाने पर।

१४— किसी सदस्य/समिति की सदस्यता समाप्त हो जायेगी, यदि—

(अ) अधिनियम और नियमों में दी गयी व्यवस्था के अधीन उसे हटाया या निकाल दिया गया हो,

(ब) अधिनियम, नियमों और उपविधियों में दी गयी व्यवस्थानुसार सदस्यता से नाम वापस लिया जाये।

५— निधियां

१५— यूनियन की निधियां निम्नलिखित होंगी —

(अ) प्रवेश शुल्क

*(ब) सदस्यों से प्राप्त निम्नलिखित दरों से आजीवन शुल्क :—

(१) शीर्ष समितियां जिनका कार्यक्षेत्र संपूर्ण राज्य (स्टेट) से कम न हो, रू० ७०,०००/—

(२) जिला/केन्द्रीय सहकारी बैंक रू० २५,०००/—

(३) डी०सी०डी० एफ० रू० १०,०००/—

(४) समितियां, जो क्रम संख्या (२) व (३) से भिन्न हो तथा जिनका कार्यक्षेत्र संपूर्ण जिले से कम न हो रू० १५,०००/—

(५) सहकारी विपणन समितियां एवं विभिन्न क्षेत्रों मे कार्यरत प्रारंभिक सहकारी समितियां रू० २,५००/— (नगरीय सहकारी बैंकों को छोड़कर)

(६) नगरीय सहकारी बैंक रू० १५,०००/—

यह शुल्क उपविधि में संशोधन के पंजीकरण की तिथि को देय हो

* उपनिबंधक सहकारी समितियां उ०प्र०लखनऊ के आदेश/पत्रांक १८०३०—३३/निबंधन दिनांक २७.६.६८ द्वारा संशोधित

Scanned with OKEN Scanner

जायेगा तथा इस का भुगतान देय तिथि से ६ माह के अंदर सदस्यों को करना होगा। यह शुल्क किसी भी दशा में वापस देय नहीं होगा।

सदस्य किसी भी समय त्यागपत्र दे सकते हैं। किंतु प्रतिबंध यह है कि त्यागपत्र देने के पूर्व उन्होंने उनपर जो भी शुल्क बकाया हो पूर्णतया यूनियन को भुगतान कर दिया हो।

(स) अधिनियम, नियमों और उपविधियों द्वारा स्वीकृत और (करारों पिता) या वसूली योग्य अंशदान जो सहकारी समितियों द्वारा पी०सी०यू० को देय हो। सदस्यता शुल्क का पुराना बकाया पड़ने की स्थिति में संचालक मंडल आवश्यक एवं समुचित छूट प्रदान कर सकता है तथा वसूली की सुविधा –जनक किस्तें नियत कर सकता है।

उन सदस्य सहकारी समितियों द्वारा पर्यवेक्षक शुल्क के रूप में अंशदान देय होगा जो प्रतिनियुक्ति पर रखे गये कर्मचारियों के अतिरिक्त यूनियन के अन्य कर्मचारियों की सेवाओं का उपयोग करती हों और यह अंशदान पर्यवेक्षण पर व्यय तथा अन्य खर्चों को छोड़कर ऐसी दर से देय होगा जैसा कि संचालक मंडल निर्धारित करें।

*(द) सरकार द्वारा प्रदत्त अंशपूंजी, अनुदान या अंशदान (यदि कोई हो)

(य) भविष्य निधि में किये गये अंशदान धारा ६३ में की गयी व्यवस्थानुसार।

(र) अन्य अंशदान यदि कोई हो।

(ल) सहकारी साहित्य एवं प्रकाशनों की बिक्री, छपाई, शुल्क, भवन किराया अतिथि गृह तथा आडीटोरियम के किराये से आय।

(व) दान में प्राप्त धन।

(श) शिक्षानिधि में प्राप्त अंशदान, जो समितियों द्वारा अनिवार्य

*निबंधक सहकारी समितियां उ०प्र०लखनऊ के आदेश/पत्रांक ५७६–८२/शिक्षा बजट दिनांक १६.११.६६ द्वारा संशोधित

उपविधियों के प्राविधानों के अनुसार प्रयुक्त किया जायेगा।

(ष) शिक्षानिधि हेतु प्राप्त किया गया अंशदान जिसे ऐसे तरीके से और ऐसे प्रयोजनों में उपयोग में लाया जायेगा जो अधिनियिम और नियमों में निर्दिष्ट हो।

(स) प्रकीर्ण आय संबंधी कोई अन्य मद।

१६– (१) अधिनियम, नियमों और उपविधियों में निर्दिष्ट व्यवस्थाओं की प्रतिकूलता किये बिना यूनियन की सम्पत्ति और निधियों का उपयोग यूनियन के उद्देश्यों की पूर्ति और उसकी समुन्नति के कार्यों में किया जायेगा।

(२) निधियों का उपयोग एवं प्रयोग विशेषत: निम्नलिखित हेतु किया जायेगा :–

(क) समिति के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु नियुक्त कर्मचारी वर्ग के रखरखाव पर।

(ख) कर्मचारियों के भविष्य निधि पर।

(ग) सहकारी साहित्य के प्रकाशन पर, भूमि, भवन, क्रय एवं भवन निर्माण में।

(घ) प्रचारार्थ मोटर, गाड़ियों और प्रचार वाहनों तथा अन्य सामान क्रय करने पर और

(ड़) ऐसे कार्यों पर जो सहकारिता संबंधी जानकारी के प्रसारण हेतु आवश्यक हो जैसे कि सहकारी शिक्षा व प्रशिक्षण की व्यवस्था में विज्ञापन तथा चन्दा देने में पुस्तकालय का संगठन करना जिसमें परिचल पुस्तकालय, भी हो, सम्मेलन आयोजित करना, प्रदर्शनी की व्यवस्था करना, वाद–विवाद और निबंध प्रतियोगितायें तथा अध्ययन भ्रमण गोष्ठियां आयोजित करना आदि।

(च) यात्रा भत्ते का भुगतान और अन्य आवश्यक संभाव्य खर्चों पर, किंतु प्रतिबंध यह है कि सरकार द्वारा

रूप से देय होगा तथा जिसे अधिनियम, नियम विनियम तथा प्राप्त धनराशि जो किसी प्रयोजन विशेष हेतु दी गयी हो उस प्रयोजन के अतिरिक्त किसी कार्य में न लायी जायेगी।

(छ) निबंधक की अनुमति पर किसी अन्य उद्देश्य कार्य में।

१७– निबंधक की लिखित स्वीकृति के बिना यूनियन अपने ऋण या निक्षेप में अभिवृद्धि नहीं करेगी।

*१८– उपविधि ५(१५) (ब) में उल्लिखित वार्षिक शुल्क और उपविधि ५(१५)(स) में उल्लिखित अंशदान हर पहली अप्रैल को देय होगा और उसे संबंधित कर निर्धारण वर्ष के मई मास की ३१ तारीख तक जमा कर देना होगा। ऐसा न करने की स्थिति में नियम की अवहेलना करने वाले सदस्य के विरूद्ध संचालक मंडल बकाया वसूली के लिये उचित कार्यवाही कर सकेगी। कोई सदस्य जिस पर बकाया की अवधि ६ माह से ऊपर हो चुकी हो, अथवा किसी सदस्य समिति का प्रतिनिधि जिस पर बकाया की अवधि ६ मांह से अधिक हो चुकी हो, बिना किसी ऐसी कार्यवाही की प्रतिकूलता के जिसका कि वह पात्र हो, संचालक मंडल या अन्य किसी समिति या उपसमिति, जिसका वह सदस्य हो, के विचार विमर्श में अपना मतदान करने का अधिकार खो देगा यदि संचालक मंडल द्वारा लगाये गये अर्थदण्ड, यदि कोई हो, के साथ कुल बकाया धनराशि का भुगतान नहीं कर देता।

३१ मई तक वार्षिक शुल्क या अंशदान का भुगतान न कर सकने वाले किसी सदस्य को पंजीकृत डाक द्वारा एक इस आशय की सूचना भेजी जायेगी कि सूचना प्राप्ति के एक माह की अवधि के अंदर यदि भुगतान न किया गया हो तो वह ऐसी कार्यवाही तथा अनर्हताओं के लिये स्वयं भागीदार बनेगा जो बकायादारों के विरूद्ध उपविधियों में निर्दिष्ट हों।

१९– अधिनियम और नियमों में की गयी व्यवस्थानुसार यूनियन की

* उपनिबंधक (के०) सहकारी समितियां उ०प्र०लखनऊ के आदेश/पत्रांक ४११७–२०/विधि – निबंधन दिनांक १४.०६.६५ द्वारा संशोधित

निधियों को नियोजित किया जा सकेगा।

६– संविधान

२०– संविधान संगठन निम्न प्रकार होगा :–

(अ) सामान्य निकाय

(ब) संचालक मंडल

(स) अध्यक्ष

(द) उपाध्यक्ष

और (य) प्रबंध निदेशक

७– सामान्य निकाय और उसकी बैठक

२१– यूनियन के सामान्य निकाय में (अधिनियम और नियमों में की गयी व्यवस्थानुसार) निम्नलिखित सदस्य होंगे :–

(क) अधिनियम, नियमों और उपविधियों के अधीन यूनियन की सदस्य समितियों द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि।

(ख) पदेन सदस्य।

टिप्पणी : यूनियन के नाम मात्रिक सदस्य यदि चाहें तो सामान्य निकाय की बैठक में दर्शक के रूप में उपस्थित हो सकते हैं। उन्हें बैठक की सूचना प्रेषित करना आवश्यक नहीं होगा।

२२– धारा ८६ में निर्दिष्ट व्यवस्था के अधीन रहते हुये प्रत्येक सदस्य समिति अपने संचालक मण्डल के प्रस्ताव द्वारा अपने सामान्य निकाय में से यूनियन के सामान्य निकाय हेतु एक प्रतिनिधि नियुक्त कर सकेगी।

२३– धारा ८७ के अधीन उल्लिखित अनर्हताओं में से किसी एक को भी ग्रहण करने पर किसी सदस्य समिति द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि का प्रतिनिधित्व समाप्त हो जायेगा।

Scanned with OKEN Scanner

२४– (क) यूनियन की वार्षिक सामान्य बैठक धारा ६० में निर्दिष्ट अवधि के अंदर बुलायी जायेगी।

(ख) वार्षिक सामान्य बैठक अध्यक्ष के अनुमोदन पर प्रबंध निदेशक द्वारा बुलायी जायेगी।

२५– सामान्य बैठक से संबंधित कार्यवाही वृत्त यूनियन के प्रबंध निदेशक द्वारा एक ऐसी पुस्तिका में अभिलिखित किया या कराया जायेगा जो इसी कार्य के लिये निर्धारित होगी। कार्यवाही वृत्त अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित होगा। कार्यवाही वृत्त की बैठक में उपस्थित सदस्यों के नाम भी अभिलिखित किये जायेंगे।

२६– सामान्य बैठक में उठाये गये सभी प्रश्न नियमों के अधीन रहते हुये मतदान के समय उपस्थित सदस्यों के बहुमत द्वारा निर्णीत होंगे और किसी विषय पर पक्ष एवं विपक्ष में समान मत होने की स्थिति में अध्यक्ष को अपना निर्णायक मत देने का अधिकार होगा।

२७– राज्य–स्तरीय सम्मेलन और प्रदर्शनी आदि का आयोजन साधारणतया इस बैठक के साथ ही किया जायेगा और यूनियन के सामान्य निकाय के प्रतिनिधि सम्मेलन के भी प्रतिनिधि होंगे।

२८– सामान्य निकाय का प्रत्येक प्रतिनिधि जो इसकी बैठक में उपस्थित होगा एक मत देने का अधिकारी होगा।

२९– सामान्य निकाय की किसी बैठक की सूचना यूनियन के प्रत्येक प्रतिनिधि को बैठक होने के ३० दिन से अनधिक दिन कम से कम १५ दिन पूर्व सूचना डाक प्रमाण पत्र के अन्तर्गत दी जायेगी।

प्रतिबंध यह है कि संचालक मण्डल के चुनाव हेतु बुलाई जाने वाली वार्षिक सामान्य बैठक की सूचना धारा ४१७ के अन्तर्गत यूनियन द्वारा अपने सदस्यों को दी जायेगी।

*३०– सामान्य निकाय की बैठक में साधारण कार्य निपटाने हेतु कुल

* उपनिबंधक (के०) सहकारी समितियां उ०प्र०लखनऊ के आदेश/पत्रांक १३६६६–७०/विधि दिनांक ६.३.२००० द्वारा संशोधित

प्रतिनिधियों मे से कम से कम १/३ या ३० जो भी कम हो, की उपस्थिति आवश्यक होगी और जो साधारण सभा तथा उपविधि की निर्दिष्ट संख्या (कोरम) के अभाव में स्थगित की जायेगी वहां निबंधक की अनुज्ञा से प्रतिनिधियों की निर्दिष्ट संख्या (कोरम) के १/१० या २५ जो भी कम हो की उपस्थिति में इस स्थगित बैठक की कार्रवाई सम्पन्न की जायेगी।

टिप्पणी : इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु किसी भिन्न को एक पूर्ण संख्या माना जायेगा।

३१– यूनियन का अध्यक्ष वार्षिक, सामान्य बैठक और विशेष साधारण बैठकों का सभापतित्व करेगा, उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष ऐसी बैठकों का सभापतित्व करेगा और दोनों की अनुपस्थिति में बैठक में उपस्थित किसी प्रतिनिधि को बैठक का सभापतित्व करने हेतु उपस्थित प्रतिनिधि अध्यक्ष चुनेंगे।

३२– प्रतिबंध यह है कि कोई भी व्यक्ति यहां तक कि अध्यक्ष भी उस स्थिति में किसी ऐसी बैठक का सभापतित्व नही करेंगे जिसमें उनके व्यक्तिगत हित के विषयों पर विचार विमर्श किया जाना निश्चित हो। वार्षिक सामान्य बैठक में निम्नलिखित कार्य संपादित किये जायेंगे :–

(अ) १– संचालक मंडल द्वारा निर्धारित रूप रेखा, यदि कोई हो, के अनुसार तैयार किये गये वार्षिक विवरण (रिपोर्ट) पर विचार एवं उसका अनुमोदन।

२– गत सहकारी वर्ष के रोकड़ पत्र पर विचार, सिवाय उस दशा के जब अधिनियम और नियमों के अनुसार, नियत अवधि के भीतर लेखा परीक्षा पूरी न हुयी हो।

३– गत सहकारी वर्ष के लेखा परीक्षण प्रमाण पत्र और लेखा परीक्षा प्रतिवेदन पर विचार, सिवाय उस दशा के जब कि नियमों में निर्दिष्ट अवधि के भीतर लेखा परीक्षा पूरी न हुयी हो।

कार्यालय उ.प्र. कोऑपरेटिव यूनियन लि. * 14, डा. अम्बेडकर मार्ग, लखनऊ *

Scanned with OKEN Scanner

(ब) आगामी सहकारी वर्ष के लिये यूनियन के कार्यक्रम पर विचार और आय तथा व्यय के लेखे जोखे का अनुमोदन।

(स) ऋण और निक्षेप, यदि कोई हो, की सीमा निर्धारित करना।

(द) गत वर्ष बनाये गये सदस्यों के नाम पढ़ना।

(ई) संचालक मण्डल द्वारा बनाये गये नियमों का अनुमोदन या परिवर्धन।

(फ) यदि कोई अभिप्रेत हो तो नियमों और उपविधियों की प्रतिकूलता के बिना संचालक मण्डल के सदस्यों का चुनाव करना।

(व) यूनियन के कार्य से संबंधित किसी अन्य प्रश्न पर विचार, जिसकी ७ दिन पूर्व सूचना प्रबंध निदेशक को दी गयी हो।

(भ) सभापति की अनुमति से कोई अन्य अतिसमीय महत्वपूर्ण मामला, जिसका यूनियन के कार्य से संबंध हो, पर विचार।

३३– यूनियन अपने सदस्यों/प्रतिनिधियों को सामान्य निकाय की बैठक में भाग लेने के लिये कोई यात्रा व्यय नहीं भुगतान करेगी।

विशेष सामान्य बैठक

३४– संचालक मण्डल, एक माह की नोटिस देने के पश्चात, जब तक नियमावली में अन्यथा न प्राविधानित हो, विशेष सामान्य बैठक की आहूत निम्न पर करेगा :–

(१) अपनी स्वेच्छा से।

(२) निबंधक द्वारा मांग।

(३) सामान्य निकाय के कुल सदस्यों के १/५ की मांग।

इस प्रकार आहूत विशेष सामान्य बैठक ऐसे विषयों का विचार एवं निस्तारण करेगी जिनके हेतु यह आहूत की गयी है।

८– संचालक मण्डल

३५– संचालक मण्डल में ५१ सदस्य निम्नानुसार होंगे :–

(१) अध्यक्ष को सम्मिलित कर ५४ संचालक सदस्य सहकारी समितियों के प्रतिनिधियों में से प्रत्येक मण्डल की संख्या के आधार पर, निबंधक द्वारा मण्डलवार निर्दिष्ट संख्या के अनुसार संबंधित मण्डल के प्रतिनिधियों द्वारा निर्वाचित। प्रतिबंध यह है कि प्रत्येक मण्डल से कम से कम एक संचालक अवश्य होगा।

(२) संचालक मण्डल में दो निर्बल वर्ग के संचालक निबंधक द्वारा निर्दिष्ट निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित होंगे।

(३) प्रबंधक निदेशक, पदेन सदस्य होंगे।

३६– (क) नियम सख्या ४४५ के प्राविधानों के अनुसार यूनियन के संचालक मण्डल के निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल ३ वर्ष होगा, जिसमें उनके निर्वाचन का सहकारी वर्ष भी है।

(ख) संचालक मण्डल के नामांकित सदस्य, यदि कोई हों, तब तक बने रहेंगे जब तक नाम निर्दिष्ट करने वाली सत्ता चाहे।

३७– संचालक मण्डल में मध्यावधि में हुयी रिक्ति की पूर्ति, आमेलन (क्वाप्शन) द्वारा उस श्रेणी का ध्यान रखते हुये जिसका रिक्ति से संबंध है, सामान्य निकाय की अंतिम बैठक में उपस्थित प्रतिनिधियों में से, संचालक मण्डल के शेष सदस्यों द्वारा रिक्ति की शेष अवधि के लिये की जायेगी।

३८– (१) केवल स्थान रिक्ति के आधार पर अथवा संचालक मण्डल/समिति अथवा उपसमिति के संविधान में कोई दोष न होने पर, जैसी स्थिति हो, संचालक मण्डल या इसकी उपसमितियों का कोई कार्य अथवा कार्यवाही पर आपत्ति न की जायेगी।

(२) संचालक मण्डल या उसकी उपसमितियों या सदस्य के

कार्यालय उ.प्र. कोआपरेटिव यूनियन लि. 14, डा. अम्बेडकर मार्ग, लखनऊ

Scanned with OKEN Scanner

रूप में कार्य करने वाली किसी व्यक्ति तथा किसी पदाधिकारी द्वारा किये गये समस्त कार्य, बाद में यह प्रकट होने के बावजूद कि उक्त सदस्य पदाधिकारी की नियुक्ति में कोई त्रुटि हुयी या उसमे से कोई अयोग्य था, विहित समझे जायेंगे मानो उस सदस्य या पदाधिकारी की नियुक्ति उचित रीति से की गयी थी और वे सदस्य या पदाधिकारी नियुक्त किये जाने के योग्य थे।

३६– संचालक मण्डल की बैठक कम से कम त्रैमास में एक बार प्रबंध निदेशक द्वारा निश्चित किये गये तिथि एवं समय पर यूनियन के मुख्यालय में होगी संचालक मण्डल की विशेष बैठक किसी भी समय उसके तीन सदस्यों की लिखित मांग पर आयोजित की जा सकती है।

४०– संचालक मण्डल की बैठक की गणपूर्ति उसके कुल सदस्यों का १/३ होगी

४१– संचालक मण्डल की बैठकों की कार्यवाही की कार्यवृत्ति यूनियन के प्रबंध निदेशक द्वारा इस उद्देश्य के लिये रखी गयी पुस्तिका में अभिलिखित की या कराई जायेगी तथा प्रबंधक निदेशक व बैठक के अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित की जायेगी। बैठक में उपस्थित सदस्यों के नाम कार्यवाही पंजिका में यह अभिलिखित किये जायेंगे।

४२– जब तक नियमों में अन्यथा न प्राविधानित हो, संचालक मण्डल के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत कोई विषय में उपस्थित एवं मतदान कर रहे सदस्यों के बहुमत द्वारा निर्णित होगा। समान मतों की दशा में सभापतित्व करने वाले प्राधिकारी को द्वितीय अथवा निर्णायक मत का अधिकार होगा।

४३– संचालक मण्डल की बैठक की ७ दिन पूर्व सूचना डाक प्रमाण पत्र के अन्तर्गत संचालक मण्डल के प्रत्येक सदस्य को दी जायेगी।

४४– संचालक मण्डल की बैठक में सामान्य व्यवसाय के निस्तारण के

(३) ऐसी सीमा तक जैसा सामान्य निकाय

लिये कुल सदस्यों के १/३ से कम नहीं की, व्यक्तिगत उपस्थिति आवश्यक होगी और यदि संचालक मण्डल की बैठक, गणपूर्ति के के लिये निर्धारित उपस्थिति के १/५ पर सम्पन्न होगी। प्रतिबंध यह है कि संचालक मण्डल समिति के सदस्यों को लिखित रूप से घटी गणपूर्ति के तथ्य से सूचित किया जायेगा।

टिप्पणी : इस उद्देश्य के लिये कोई अंश पूर्ण संख्या के रूप में माना जायेगा।

४५– यूनियन के अध्यक्ष, संचालक मण्डल की बैठकों का सभापतित्व करेंगे, उनकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष, ऐसी बैठकों का सभापतित्व करेंगे। दोनों की अनुपस्थिति में बैठक में उपस्थित सदस्य अपने में से किसी एक को उस बैठक के सभापतित्व के लिये निर्वाचित करेंगे।

प्रतिबंध यह है कि कोई भी व्यक्ति, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष को सम्मिलित करते हुये ऐसी बैठक का सभापतित्व नहीं करेगा जिसमें ऐसे विषय, जिसमें उसका व्यक्तिगत हित हो, विचाराधीन हो।

६– संचालक मण्डल के अधिकार, और कर्तव्य

४६– (१) अधिनियम, नियमों और उपविधियों में निहित प्राविधानों के सदर्भ में संचालक मंडल यूनियन की प्रमुखशासी निकाय होगी और इसके कार्य के संचालन के लिये उत्तरदायी होगी।

(२) पूर्ववर्ती अधिकारों की व्यपकता की प्रतिकूलता के बिना, विशेष रूप से समिति के निम्नलिखित अधिकार एवं कर्तव्य होंगे–

(१) कार्यकारी, भवन निर्माण एवं व्यवस्था एवं अधिष्ठान तथा अनुशासन एवं अन्य आवश्यक समितियों का गठन करना।

(२) लोगों को यूनियन के साधारण सदस्यता में प्रवेश देना, प्रत्याहरण सूचना स्वीकृत करना तथा सामान्य निकाय की पुष्टि की प्रत्याशा में प्रत्याहरण पर अनुमति प्रदान करना।

कार्यालय उ.प्र. कोआपरेटिव यूनियन लि. अम्बेडकर मार्ग

Scanned with OKEN Scanner

अथवा निबंधक द्वारा निश्चित किया गया हो, ऋण संविदा करना, सामान्य निकाय के निर्देशानुसार अन्य पूंजी को संकलित करना एवं यूनियन की साख को इस उद्देश्य के बंधक रखना।

(४) संचालक मण्डल के किसी सदस्य, प्रबंधक निदेशक यूनियन के अन्य अधिकारी के माध्यम से किसी मामले पर जांच प्रारंभ करना, संकलित करना, प्रतिनिधित्व करना, प्रतिवाद करना, समझौता करना, मध्यस्थ कार्यवाही हेतु संदर्भित करना अथवा निबंधक की अनुमति से यूनियन अथवा संचालक मण्डल अथवा यूनियन के मामले से संबंधित अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा या उनके विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही का परित्याग करना।

(५) वार्षिक सम्प्रेक्षण की व्यवस्था करना और सामान्य निकाय के समक्ष वार्षिक प्रतिवेदन तथा प्रमाणित संतुलन पत्र संप्रेक्षण आपत्तियों के सारांश सहित प्रस्तुत करना।

(६) वार्षिक बजट, वार्षिक रिपोर्ट प्रमाणित संतुलन पत्र, संप्रेक्षण आपत्तियों के सारांश सहित तथा संप्रेक्षण अनुपालन तैयार करना एवं सामान्य निकाय के समक्ष प्रस्तुत करना।

(७) धारा १२० के अर्न्तगत निबंधक द्वारा निर्गमित आदेशों, धारा १२१ अथवा १२२ के अन्तर्गत बनाये गये विनियमों तथा नियमावली व उपविधियों के प्राविधानों के संदर्भ में :–

(अ) यूनियन के कर्मचारियों की नियुक्ति, सेवा निवृत्ति, निलंबित करना, अथवा उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करना।

प्रतिबंध यह है कि कोई व्यक्ति यूनियन के अन्तर्गत सवेतन नियुक्ति का पात्र न होगा यदि वह संचालक मण्डल के किसी सदस्य का संबंधी हो।

(ब) कर्मचारियों के वेतनभत्ते तथा जीवन आरक्षानिधि अंशदान को निश्चित करना तथा भुगतान की

व्यवस्था करना।

(स) नियम २०२ के उपखण्ड (ii) के अनुसरण में कर्मचारियों के जीवन आरक्षानिधि के अंशदान की दर को निर्धारित करना।

(द) कर्मचारियों से प्राप्त होने वाले प्रतिभूतिनिक्षेप की धनराशि एवं किस्तों का निर्धारण करना।

(य) सामान्यतया यूनियन के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये आवश्यक तथा सहायक यूनियन कार्यों का संचालन।

(८) सामान्य निकाय द्वारा किसी निर्धारित नीति के सन्दर्भ में :–

(अ) यूनियन के साधारण सदस्यों के प्रवेश और प्रत्याहरण की स्वीकृति देना।

(ब) यूनियन द्वारा अन्य समितियों से सम्बद्ध होना तथा उनकी सहायता से प्रत्याहरित होना।

४७– संचालक मण्डल अन्य समितियों/उपसमितियों अथवा यूनियन के अधिकारी को ऐसे अधिकारों का भारार्पण कर सकता है जैसा यह उचित समझे।

४८– संचालक मण्डल यूनियन के किसी अथवा एक अधिकारी को ऐसे अधिकार जैसा कि इसके द्वारा उचित समझा जाये, भारार्पण कर सकता है। संचालक मण्डल अधिनियमावली के प्राविधानों के संदर्भ में यूनियन के एक अधिकारी अथवा सदस्य समिति की नियुक्ति, निष्कासन, अथवा सेवा निवृत्ति को प्रस्ताव द्वारा यूनियन के कर्मचारियों के निलंबन दण्ड आदि के अधिकारों का भारार्पण कर सकती है।

१०– अध्यक्ष

४९– (१) अधिनियम नियमावली तथा उपविधियों में निर्दिष्ट प्राविधानों के अनुसार यूनियन का अध्यक्ष संचालक मंडल के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होगा।

(२) अध्यक्ष यूनियन के मामलों तथा कार्य के नियंत्रण पर्यवेक्षण

कार्यालय उ.प्र. कोआपरेटिव यूनियन लि. लखनऊ

Scanned with OKEN Scanner

एवं पथ प्रदर्शन के लिये उत्तरदायी होंगे तथा ऐसे अधिकारों का प्रयोग एवं कर्तव्यों का निर्वाह करेंगे जैसा कि संचालक मण्डल के प्रस्ताव द्वारा आरोपित किया जाये। उपस्थित रहने पर वह नियमों में अन्यथा की गयी व्यवस्था के अधीन रहते हुये, सामान्य निकाय, संचालक मण्डल तथा ऐसी अन्य समितियों जिन्हें संचालक मण्डल द्वारा गठित किया गया हो यदि कोई हो, की अध्यक्षता करेंगे।

उक्त वर्णित अधिकारों पर बिना प्रतिकूल प्रभाव डाले अध्यक्ष को निम्न विशिष्ट अधिकार होंगे :–

(१) अध्यक्ष किसी बैठक को स्थगित कर सकता है जब :–

(अ) ऐसी आवश्यकता हो जिसमें इस कारण भौतिक रूप से बैठक की कार्यवाही का संचालित करना संभव न हो या जहां कानून एवं व्यवस्था के टूटने का भय हो।

(ब) बैठक में उपस्थित आधे से अधिक सदस्य स्थगन के लिये कहते अथवा मत देते हों,

(२) सामान्य निकाय अथवा संचालक मण्डल द्वारा आरोपित अथवा आवंटित कर्तव्यों एवं कार्यों का निष्पादन।

(३) संचालक मण्डल की सहमति से लिखित रूप अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों को उपाध्यक्ष, प्रबंध निदेशक का आरोपित करना अथवा किसी अधिकार अथवा कर्तव्य को समाप्त करना।

११– उपाध्यक्ष

५०– उपाध्यक्ष, संचालक मण्डल द्वारा अपने सदस्यों में से निर्वाचित किये जायेंगे और नियमों में अन्यथा प्राविधान को छोड़कर अध्यक्ष की अनुपस्थिति में सामान्य निकाय अथवा संचालक मंडल की बैठकों की अध्यक्षता करेंगे तथा संचालक मण्डल की अनुमति के अधीन अध्यक्ष द्वारा लिखित रूप में आरोपित अधिकारों का प्रयोग एवं कर्तव्यों का निष्पादन करेंगे।

१२– प्रबंध निदेशक

५१– (अ) यूनियन का प्रबंध निदेशक शासन द्वारा नियुक्त अतिरिक्त निबंधक होगा तथा इनके वेतन का निर्धारण शासकीय शर्तों के अनुसार होगा।

(ब) सहकारी अधिनियम की धारा ३१ की उपधारा २ और नियमों के प्राविधानानुसार प्रबंध निदेशक यूनियन का मुख्य कार्यपालक अधिकारी होगा और संचालक मण्डल तथा अध्यक्ष के ऐसे नियंत्रण में रहते हुये, जैसा कि नियमों और समिति के उपविधियों में उपबंधित हो, उसके निम्नलिखित कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व होंगे :–

(१) यूनियन के प्रशासन पर सामान्य नियंत्रण रखना तथा लेखों के उचित एवं नियमित रखरखाव की व्यवस्था करना।

(२) यूनियन में कार्यरत कर्मचारियों पर प्रशासनिक नियंत्रण रखना, उनके अधिकार एवं कर्तव्यों का निर्धारण, उनका यथावश्यक स्थानांतरण तथा उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करना।

(३) अधिनियम, नियम तथा उपविधियों के उपबंधों के अनुसार निम्न कार्य करना :–

(क) सामान्य निकाय, संचालक मण्डल तथा अन्य समितियों की बैठक बुलाना तथा कार्यवाही को अंकित करना एवं कराना।

(ख) यूनियन की ओर से समस्त धन प्रतिभूति प्राप्त करना और यूनियन की रोकड़ बाकी और अन्य समितियों के समुचित अनुरक्षण और अभिरक्षण का प्रबंध करना।

(ग) बचतपत्रों, सहकारी और अन्य प्रतिभूतियों को पृष्ठांकित, संक्रमित करना और यूनियन की ओर से चेक, और परिक्रमण संलेख का पृष्ठांकन, हस्ताक्षर तथा परक्रमण करना।

(घ) यूनियन के दिनानुदिन कार्य और मामलों के सामान्य संचालन पर्यवेक्षण और प्रबंध के उत्तरदायी होना।

कार्यालय उ.प्र. कोआपरेटिव यूनियन लि. लखनऊ

Scanned with OKEN Scanner

(ङ) यूनियन के पक्ष में समस्त जमा रसीदों पर हस्ताक्षर करना, और बैंक में यूनियन का लेखा चलाना।

(च) यूनियन के पक्ष में समस्त बंध पत्रों और अनुभूतों पर हस्ताक्षर करना।

(छ) बजट में प्राविधानित व्यय करना।

(ज) यूनियन के बजट प्राविधानों के अधीन रहते हुये तीन माह की अवधि के लिये तृतीय व चतुर्थ वर्ग के पदो का सृजन करना और नियुक्ति प्राधिकारी के रूप में बोर्ड के माध्यम से उन पर भर्ती करना और जैसा कि १२२ की उपधारा (२) के अधीन अधिकारों का प्रयोग करके राज्य सरकार द्वारा बनाये गये विनियमों में व्यवस्थित है।

(झ) यूनियन के कर्मचारियों के अधिकार, कर्तव्य और उत्तरदायित्व अवधारित करना।

(ञ) यूनियन द्वारा या उसके विरूद्ध या अन्यथा समिति के मामलों के संबंध में कोई बात या अन्य विधिक कार्यवाही सांस्थिति, संचालित प्रतिपादित, प्रसमित या परित्यक्त करना और यूनियन द्वारा या उसके विरूद्ध किसी दावे या मांग का प्रशमन करना और भुगतान या तुष्टि के लिये समय देना।

(ट) ऐसे विनियमों, के यदि हों जिन्हें संचालक मण्डल बनाये अधीन रहते हुये बातचीत करना और निर्माण कार्य के दौरान ५ लाख रूपये तक की प्रत्येक और उसके पश्चात २, १/२ लाख रूपये तक की प्रत्येक संविदा को स्वीकृत करना और समिति के प्रयोजनार्थ उपयुक्त किसी विषय के संबंध में यूनियन के नाम से और उसकी ओर से ऐसे समस्त कार्य, कृत्य और बात करना।

(ठ) अपना अंतिम नियंत्रण और प्राधिकारी रखते हुये यूनियन के किसी कर्मचारियों या कर्मचारी का अपने में निहित सभी या किसी अधिकार प्राधिकार या

विवेकाधिकार प्रत्योजित करना।

१३– अंशदायी जीवन आरक्षण निधि

५२– धारा ६३(१) के उपबंधों के अनुकरण में यूनियन अपने कर्मचारियों के हित में एक अंशदायी जीवन आरक्षण निधि की स्थापना निम्न धन से करेगा।

(१) एक कर्मचारी द्वारा मासिक अंशदान की दर उसकी इच्छानुसार होगा। परंतु कर्मचारी के मासिक वेतन के ५ प्रतिशत से कम न होगा।

(२) सहकारी वर्ष के अंत में इस हेतु यूनियन के अंशदान की दर संचालक मण्डल द्वारा निर्धारित की जायेगी।

प्रतिबंध यह होगा कि निबंधक की अनुमति बिना कर्मचारी द्वारा आहरित वेतन के ६, १/४ प्रतिशत से यूनियन का अंशदान अधिक नही होगा, अग्रेतर प्रतिबंध यह है कि यूनियन का अंशदान किसी भी दशा में कर्मचारी के अंशदान से अधिक नहीं होगा।

१४– विविध

५३– यह अधिनियम नियम, नियमावली अथवा विनियम के किसी प्राविधान के निर्वाचन में कोई भ्रम हो तो संचालक मण्डल अथवा अध्यक्ष अथवा प्रबंध निदेशक निबंधक की राय प्राप्त करेंगे जिनकी राय अंतिम व बाध्य होगी।

५४– यूनियन के सभी सदस्यों में उपविधि और विनियम तथा अंतिम संतुलन पत्र की एक प्रति निःशुल्क प्रदान की जाये। अंतिम संतुलन पत्र कार्यालय अवधि में सार्वजनिक निरीक्षण के लिये सुलभ होगी।

५५– इस निमित्त बना किसी विनियम के अधीन का लेखा व अभिलेख संख्या ३७६ के उपबंधों के अनुसार किसी सदस्य द्वारा निरीक्षण के लिये सुलभ होगा। प्रतिबंध यह है कि प्रत्येक निरीक्षित किये जाने वाले अभिलेख के लिये एक रूपया शुल्क देय होगा।

Scanned with OKEN Scanner

५६– (१) यूनियन की निधि का कोई भार बोनस अथवा लाभांश या अन्यथा रूप में इसके सदस्यों में विभाजित न होगा।

(२) कोई अतिरिक्त धन जिसकी तुरंत आवश्यकता न हो भविष्य में उपयोग हेतु विशिष्ट निधि में जमा दिखाया जायेगा और प्राथमिकता के आधार पर उ०प्र० कोआपरेटिव बैंक में विनियोजित किया जायेगा अथवा यदि आवश्यक हो तो ऐसे धन का कुछ अंश नियम १७३ के अनुबंध के अनुसार अन्यथा भी नियोजित किया जा सकता है।

(३) वर्ष भर कार्य करने के पश्चात हुई कोई अतिरिक्त बचत यूनियन के उद्देश्यों के प्रोत्साहन मे विभाजित की जा सकती है।

प्रतिबंध यह है कि यूनियन किसी ऐसे लेन–देन से लाभ का संपूर्ण भाग निम्न रूप में प्रयुक्त किया जायेगा :–

(अ) हुई हानि को पूरा करने में तथा सदस्यों से वसूल किसी धनराशि का भुगतान।

(ब) सामूहिक लाभ निधि।

(स) रक्षित निधि में।

५७– यूनियन के विघटन की दशा में भी रक्षित निधि सदस्यों में विभाजित न होगी बल्कि नियमों में प्राविधानित ढंग से निस्तारित की जायेगी।

५८– यूनियन के विघटन की दशा में यूनियन ऋण का दायित्व केवल समिति सदस्यों को होगा तथा ऐसी दशा में साविधिक धनराशितक सीमित होगा जैसा कि उपविधि १५(ब) के अन्तर्गत उनके अंशदान के लिये निर्दिष्ट किया गया है यह सदस्य द्वारा यूनियन को देय राशि के अतिरिक्त होगा।

५९– यूनियन के पदाधिकारियों का निर्वाचन तथा अधिकारियों का चयन अधिनियम एवं नियमावली के उपबंधों के अनुसार संपन्न

होगा।

६०– यदि कार्यसूची में वर्णित समस्त मानों का निस्तारण बैठक की तिथि में नहीं हो पाता है तो बैठक किसी अन्य तिथि के लिये स्थगित की जायेगी जैसा कि उपस्थित सदस्यों द्वारा निर्णय लिया गया है और जब–जब स्थगित बैठक सम्पन्न होती हो तो पूर्व बैठक में रह गये कार्यसूची के विषयों पर विचार विमर्श किया जायेगा।

६१– यूनियन का कोई अधिकारी प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष कोई हित नहीं रखेगा :–

(अ) यूनियन द्वारा किये गये किसी संविदा में।

(ब) यूनियन द्वारा क्रय और विक्रय की गयी संपत्ति में।

६२– इन उपविधियों अथवा यूनियन के संबंधित मामलों के निर्वाचन तथा पृष्ठांकन के संबंध में किसी विवाद को निबंधक के लिये संदर्भित किया जायेगा जिसका निर्णय अंतिम होगा।

६३– इन उवविधियों के निबंधन के ३ माह में अंतिम संचालक मण्डल अधिनियम, नियमावली एवं उपविधि के प्राविधानों के अनुसार पुनर्गठन किया जायेगा और वर्तमान संचालक मण्डल मे, सदस्य अवमुक्त माने जायेंगे।

६४– नियम ३८७ व ३८८ के उपबंधों के अन्तर्गत यात्रा भत्ता के नियम बनाये जायेंगे :–

(१) सामान्य निकाय द्वारा निम्न के संबंध में :–

(अ) संचालक मण्डल के सदस्यों

(ब) यूनियन द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि

(२) यूनियम के कर्मचारियों के संबंध में संचालक मण्डल द्वारा।

६५– नियम ६४ में संदर्भित किसी एक या अधिक अभिलेखों की प्रमाणित

कार्यालय उ.प्र. कोआपरेटिव यूनियन लि. लखनऊ

Scanned with OKEN Scanner

प्रतिलिपियां नियम व अधिनियमों में प्राविधानित ढंग में प्रति पेज ५० पैसे शुल्क के भुगतान पर जिसकी न्यूनतम धनराशि रू० २/– है, निर्गत की जा सकती है।

६६– यूनियन की उवविधियों में समस्त संशोधन सामान्य निकाय में उपस्थित व मतदान कर रहे नियमों में निर्धारित पद्धति के अनुसार इस उद्देश्य के लिये आहुत सामान्य बैठक में उपस्थित व मत दे रहे यूनियन के सामान्य निकाय के सदस्यों के कम से कम २/३ के मत द्वारा पारित संकल्प से यूनियन की उपविधियों में समस्त संशोधन किये जायेंगे।

प्रतिबंध यह है कि नमूने की उपविधियां अथवा धारा १४ की उपधारा (१) के अन्तर्गत निबंधक द्वारा अनुमोदित पूर्व संशोधन केवल साधारण बहुमत से किये जायेंगे।

६७– कोई भी व्यक्ति यूनियन के संचालक मण्डल का सदस्य होने अथवा बने रहने का पात्र न होगा यदि वह नियम ४५३ में वर्णित अनर्हतायें रखता हो।

६८– सहकारी नियमावाली के परिच्छेद २७ के प्राविधानों पर बिना प्रतिकूल प्रभाव डाले यूनियन अपने किसी सदस्य, प्रतिनिधि या अधिकारी को उसे यूनियन द्वारा सामान्य अथवा विशिष्ट आदेश द्वारा प्रदत्त कर्तव्यों के निर्वाह के संबंध में की गयी यात्रा के यात्रा भत्ता प्रदान कर सकती है।

१५– निर्वाचन विनियम

यूनियन के संचालक मण्डल, सभापति, उपसभापति तथा ऐसी सहकारी समितियां, जिनकी यूनियन सदस्य हो, के सामान्य निकाय के लिये प्रतिनिधियों का निर्वाचन अधिनियम, नियमावली एवं उपविधियों में वर्णित तत्संबंधी प्राविधानों एवं उपबंधों के अधीन होगा।

By laws Amended 09/11/16

आदेश

यतः उ0प्र0 कोआपरेटिव यूनियन लि0 लखनऊ उ0प्र0 सहकारी समिति अधिनियम 1965 के अन्तर्गत निबन्धित एक शीर्ष सहकारी समिति है, और

यतः प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 कोआपरेटिव यूनियन लि0 लखनऊ ने अपने कार्यालय पत्रांक 2347/सामान्य/व्यव0(समिति) दिनांक 01.09.2016 के द्वारा प्रबन्ध कमेटी की बैठक दिनांक 29.08.2016 में पारित प्रस्ताव की प्रति संलग्न करते हुये यह उल्लिखित किया गया है कि संस्था की आय को बढ़ाने के उद्देश्य से अन्य व्यवसायिक कार्यो को करने का निर्णय लिया गया जिसके लिये संस्था की वर्तमान उपविधियों के मुख्य उद्देश्य में अधोलिखित बिन्दु प्रतिस्थापित करने का अनुरोध किया गया :-

1- सरकार द्वारा घोषित मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत धान एवं गेहूँ क्रय एजेंसी के रूप में कार्य करना।

2- सहकारी संस्थाओं में सरकार/नाबार्ड द्वारा कराये जाने वाले कम्प्यूटरीकरण कार्य को नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करना।

3- सहकारी संघों/पूर्ति भण्डारों पर उर्वरक विक्री केन्द्रों की स्थापना।

4- सहकारिता एवं संस्था के अन्य विभागों से गैर पारस्परिक उर्जा श्रोत स्थापना की योजना के अन्तर्गत सोलर पैनल आदि की आपूर्ति एवं स्थापना के लिये नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करना।

यतः प्रबन्ध निदेशक के पत्रांक 2347/सामान्य/व्यव0(समिति) दिनांक 01.09.2016 के क्रम में इस कार्यालय के पत्रांक 2765/निबन्धन दिनांक 05.09.2016 के द्वारा उ0प्र0 सहकारी समिति नियमावली 1968 के नियम 24 से 27 में प्राविधानित व्यवस्था के अन्तर्गत कार्यवाही करके अवगत कराने तथा नियमावली के नियम 27 में प्राविधानित व्यवस्था के अन्तर्गत प्रपत्रादि प्रेषित करने के साथ ही अन्य विन्दुओं पर आख्या /सूचनायें प्रेषित करने हेतु अपेक्षा की गयी, और

यतः प्रबन्ध निदेशक ने अपने पत्रांक 2536/सामान्य/व्यव0(समिति) दिनांक 08.09.2016 के द्वारा इस कार्यालय के उपर्युक्त पत्रांक का उल्लेख करते हुये उ0प्र0 सहकारी समिति नियमावली 1968 के नियम 24 से 27 की प्राविधानित व्यवस्था के अनुसार प्रस्ताव प्रेषण के सम्बन्ध में उल्लिखित किया गया कि 3653 सहकारी समितियां संस्था की सदस्य हैं। अल्प समय में सामान्य निकाय की बैठक आहूत कर प्रस्ताव पारित करना सम्भव नहीं है। संशोधन हेतु प्रेषित उद्देश्यों पर संस्था के आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने तथा निकट आसन्न धान खरीद को दृष्टिगत रखते हुये त्वरित कार्यवाही अपेक्षित है। निकट भविष्य में सामान्य निकाय की बैठक आहूत कराकर अपेक्षित प्रस्ताव पारित करा लिया जायेगा। ऐसी स्थिति में उ0प्र0 सहकारी समिति नियमावली 1968 के नियम 24 से 27 की प्राविधानित व्यवस्था में शिथिलता प्रदान करते हुये संस्था की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के दृष्टिकोण से उपविधि के उद्देश्य में प्रस्तावित संशोधन निबन्धित करने तथा अन्य वांछित सूचनाओं के सम्बन्ध में आख्या प्रेषित करते हुये संस्था के पूर्व पत्रांक 2347/सामान्य/व्यव0(समिति) दिनांक 01.09.2016 द्वारा प्रेषित अनुरोध पत्र पर मुख्य उद्देश्य में संशोधन किये जाने का अनुरोध किया गया, और

यतः इस कार्यालय के पत्रांक 2765 निबन्धन दिनांक 05.09.2016 के द्वारा प्रबन्ध निदेशक यू0पी0 कोआपरेटिव यूनियन लि0 लखनऊ को उनके पत्रांक 2347/सामान्य/व्यव0(समिति) दिनांक 01.09.2016 के क्रम में तीन विन्दुओं पर आख्या प्रेषित किये जाने की अपेक्षा की गई जिसके क्रम में प्रबन्ध निदेशक ने अपने पत्रांक 2536/सामान्य/व्यव0(समिति) दिनांक 08.09.2016 के द्वारा आख्या प्रेषित की गई जिसके अन्तर्गत प्रबन्ध कमेटी की बैठक के प्रस्ताव समिति की उपविधि एवं निबंधन प्रमाण पत्र के साथ पूर्व प्रेषित आख्या के अनुसार ही संस्था के मुख्य उद्देश्य में संशोधन प्रतिस्थापित करने का अनुरोध किया गया।

कार्यालय उ.प्र. कोआपरेटिव यूनियन लि. 14, डा. अम्बेडकर मार्ग, लखनऊ

यतः इस कार्यालय के पत्रांक 3795 /निवन्धन दिनांक 16.11.2016 के द्वारा पुनः मुख्यरुप से प्रपत्र "ज" पर सूचनायें प्रेषित करने ,विशेष सामान्य निकाय की बैठक की कार्यवृत्ति तथा प्रस्तावित उद्देश्यों को निवन्धित करने के पूर्व संस्था के पास तकनीकी /भिज्ञ कर्मचारी/अधिकारी हैं। के सम्बन्ध में आख्या प्रेषित करने की अपेक्षा की गयी जिसके कम में प्रबन्ध निदेशक ने अपने पत्रांक 10/सामान्य/व्यव0(समिति) दिनांक 17.11.2016 के द्वारा अवगत कराया गया कि दिनांक 15.11.2016 को आहूत 53वीं सामान्य निकाय की बैठक में पारित प्रस्ताव सं0–6 के द्वारा सर्वसम्मत से उपविधि सं0–3(अ)(3) में निम्न संशोधन अनुमोदित किया गया है।

1– सरकार द्वारा घोषित मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत धान एवं गेहूँ क्रय एजेंसी के रूप में कार्य करना।

2– सहकारी संस्थाओं में सरकार/नाबार्ड द्वारा कराये जाने वाले कम्प्यूटरीकरण कार्य को नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करना।

3– सहकारी संघों/पूर्ति भण्डारों पर उर्वरक बिक्री केन्द्रों की स्थापना।

4– सहकारी संस्थाओं एवं अन्य विभागों में गैर पारस्परिक उर्जा श्रांत स्थापना की योजना के अन्तर्गत सोलर पैनल आदि की आपूर्ति एवं अवस्थापना के लिये नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करने का उल्लेख करते हुये निबन्धन करने का अनुरोध किया गया तथा अपने पत्रांक–3789/सामान्य/व्यव0(समिति) दिनांक 24.11.2016 के द्वारा इस कार्यालय के पत्रांक–3795–96/निबन्धन/दिनांक 16.11.2016 का उल्लेख करते हुये सामान्य निकाय की बैठक में लिये गये निर्णय तथा निबन्धक महोदय के पत्रांक–572/क0वि0/प–6/फा–दिनांक 23.08.2016 द्वारा आयुक्त खाद एवं रसद विभाग को अनुरोध पत्र प्रेषित किये जाने विषयक पत्र एवं शासनादेश सं0–1–2016/677/29–4–2016–5(9)/2016 दिनांक 22.08.2016 एवं शासनादेश सं0–3/2016/783/29.04.2016–5(9)/2016 दिनांक 07.09.2016 की प्रति प्रेषित करते हुये अवगत कराया गया कि मूल्य समर्थन योजना के अर्न्तगत यू0पी0 कोआपरेटिव यूनियन लि0 लखनऊ को शामिल किया गया है। तथा यह भी उल्लेख किया गया है कि पी0सी0यू0की उपविधि की उद्देश्यों में सामान्य निकाय की बैठक में लिये गये निर्णय के बिन्दु सं0–4 के उददेश्यों में तद्विषयक संशोधन को शामिल कर लिया जाय। तथा उक्त के साथ ही यह भी अनुरोध किया गया है कि तकनीकी एवं भिज्ञ कर्मचारी/अधिकारी संस्था के पास उपलब्ध नहीं हैं। राज्य सरकार/सम्बन्धित विभाग द्वारा नोडल एजेन्सी बनाने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करा लिया जाना आवश्यक होगा, इस सम्बन्ध में समस्त वांछित औपचारिकतायें पूर्ण करने के बाद ही नोडल एजेन्सी के रूप में कार्य किया जायेगा का उल्लेख करते हुये संशोधन को निबन्धित करने का अनुरोध किया गया है और

यतः आयुक्त एवं निबन्धक के पत्रांक–572/क0वि0/प–6/फा–दिनांक 23.08.2016 के कम में आयुक्त खाद एवं रसद विभाग के शासनादेश शासनादेश सं0–3/2016/783/29.04.2016–5(9)/2016 दिनांक 07.09.2016 के द्वारा यू0पी0 कोआपरेटिव यूनियन लखनऊ को मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत धान खरीद हेतु नामित कर दिये जाने एवं प्रबन्ध कमेटी द्वारा लिये गये निर्णय के कम में सामान्य निकाय की बैठक दिनांक 15.11.2016 में पारित प्रस्ताव सं0–6 में लिये गये निर्णय तथा प्रबन्ध निदेशक के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुये उ0प्र0 कोआपरेटिव यूनियन लि0 लखनऊ की उपविधि के मुख्य उद्देश्य में बढ़ाये जाने वाले अन्य बिन्दुओं को छोड़ते हुये प्रस्तावित बिन्दु संख्या 1–सरकार द्वारा घोषित मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत धान एवं गेहूँ क्रय एजेंसी के रूप में कार्य करना संस्था के हित में होने के कारण निबंधित किया जाना आवश्यक एवं समीचीन प्रतीत होता है।

कार्यालय उ.प्र. कोआपरेटिव यूनियन लि. 14, डा. अम्बेडकर मार्ग, लखनऊ

अतः मै श्रीकान्त गोस्वामी, संयुक्त आयुक्त एंव संयुक्त निवन्धक,/ अपर आयुक्त एंव अपर निवन्धक, सहकारिता लखनऊ मण्डल लखनऊ शासन की अधिसूचना संख्या 3328 सी/12 सीए–25(1) 67 दिनांक 26.06.1969 एंव 65/49–2–06–148(5)/06,दिनांक 26.07.2006 द्वारा प्रदत्त निवन्धक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उ0प्र0 सहकारी सभिति अधिनियम 1965 की धारा 12 के अधीन उ0प्र0 कोआपरेटिव यूनियन लि0 लखनऊ की उपविधि संख्या 03(अ) मुख्य उद्देश्य में 10(अ)(ii) के आगे अधोलिखित उद्देश्य निवन्धित करता हूँ :–

निबन्धित प्राविधान	संशोधन जो निबन्धित किया गया है।
(3) (अ)उद्देश्य	(3)(अ)उद्देश्य
1–सहकारी आन्दोलन का विकास करना उसे मजबूत बनाना और उसकी अभिरक्षा करना, सहकारिता को इसके विभिन्न रूपों में सुसंगठित करना और उसकी समुन्नति करना, सहकारी नीति सम्बन्धी विषयों में सहकारी विभाग को सुझाव देना।	यथावत
2–यूनियन की गतिविधियों का (अ) भारत या भारतेतर ऐसे सहकारी संगठनों के साथ तथा, (ब) किसी राज्य या केन्द्रीय सरकार के ऐसे विभागों के साथ समपदीकरण स्थापित करना जिनके उददेश्य पूर्णतः या आंशिक रूप में यूनियन के उद्देश्यों के समान हों।	यथावत
3–सामान्य प्रयासों की सफलता हेतु राज्य भरकर सहकारी संस्थाओं को एक दूसरे के निकट सम्पर्क में लाना और उनके मध्य समुदायिक लाभ की भावना उत्पन्न करना।	यथावत
4–सहकारी सिद्धान्तों एवं प्रयोगों का प्रसार करने तथा उन्हें लोकप्रिय बनाने हेतु आवश्यक कदम उठाना और इसके लिये एक मुद्रणालय (छापे खाने) तथा एक पुस्तकालय का निर्माण करना, सहकारिता एवं ग्राम्य विकास तथा उनसे सम्बन्धित विषयों पर समाचार पत्रों एवं अन्य साहित्य का प्रकाशन कराना और सहकारिता एवं उसके सहयोगी विषयों से सम्बन्धित दृश्य श्रव्य साधनों जैसे चलचित्रों आदि के उत्पादन की व्यवस्था करना और सहकारी प्रचार–वाहनों के रखरखाव की व्यवस्था करना एवं स्वयं	यथावत

उनको रखना और उनका खर्च उठाना, सम्मेलन, नाटक, प्रदर्शनियों और वाद विवाद एवं लेख प्रतियोगितायें तथा अध्ययन भ्रमण गोष्ठियाँ संगठित करना।		
5–सहकारी समितियों के वैतनिक तथा अवैतनिक कार्य–कर्ताओं तथा निबन्धक की अनुमति से अन्य सम्बन्धित गैर सहकारी संस्थाओं के कर्मचारियों, यदि सम्भव हो, को प्रशिक्षण सुविधा प्रदान करना। इस प्रयोजन हेतु सहकारी प्रशिक्षण केन्द्रों का धारण, संचालन, प्रशासन एवं नियंत्रण करना, पाठ्यक्रम तैयार करना, परीक्षा लेना तथा प्रमाण पत्र देना।		यथावत
6–सहकारी समितियों के सदस्यों, सम्भावित सदस्यों, पदाधिकारियों, कर्मचारियों एवं युवकों व महिलाओं को तथा विद्यालयों व अन्य संगठनों में सहकारी दर्शन सिद्धान्त एंव व्यवहार की शिक्षा की व्यवस्था हेतु सहकारी शिक्षा कार्यक्रम का कार्यान्वयन करना। इस प्रयोजन हेतु सचल इकाइयों की स्थापना, संचालन एवं प्रशासन करना।		यथावत
7–सहकारिता से सम्बद्व समस्याओं के अध्ययन तथा उनसे सम्बन्धित शोध कार्य को प्रोत्साहित करना।		यथावत
8–सहकारी समितियों के सदस्यों में नैतिक, भौतिक एंव सामाजिक सुधार लाने का प्रयास करना।		यथावत
9–अधिनियम एवं नियमों में की गयी व्यवस्था के अनुसार यूनियन के समस्त कर्मचारियों के लिये भविष्य निधि की स्थापना करना तथा उसके रखरखाव की व्यवस्था करना।		यथावत
10–इन उपविधियों के अनुसार यूनियन की आय के साधनों की वृद्धि करना तथा इस प्रकार बढ़ायी हुयी आय का उचित उपयोग करना। अ(ii) सामान्य/जीवन बीमा सम्बन्धी व्यवसाय/कार्य किसी बीमा कम्पनी की एजेंसी लेकर अथवा बीमा कम्पनी के रूप में कार्य करना		यथावत

कार्यालय उ.प्र. कोआपरेटिव यूनियन लि. * 14, डा. अम्बेडकर मार्ग, लखनऊ *

		11— सरकार द्वारा घोपित मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत धान एवं गेहूँ क्रय एजेंसी के रूप में कार्य करना।

उपर्युक्त निबन्धित उद्देश्य आदेश निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगा ।

Sd·

(श्रीकान्त गोस्वामी)

संयुक्त आयुक्त एवं संयुक्त निवन्धक/
अपर आयुक्त एंव अपर निवन्धक
सहकारिता
लखनऊ मण्डल, लखनऊ

संयुक्त आयुक्त एवं संयुक्त निबंधक सहकारिता उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ मण्डल, लखनऊ

कार्यालय संयुक्त आयुक्त एवं संयुक्त निबन्धक, सहकारिता लखनऊ मण्ड़ल, लखनऊ

पत्रांक 5157-50/निबन्धन दिनांक लखनऊ दिनॉकः: 9/12/2016

प्रतिलिपिः— निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1— प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 कोआपरेटिव यूनियन लि0 लखनऊ ।

2— सहायक आयुक्त एंव सहायक निबन्धक, सहकारिता जनपद लखनऊ।

3— अपर आयुक्त एंव अपर निबन्धक (विधि—निर्वा0) सहकारिता, उ0प्र0 लखनऊ।

4— आयुक्त एंव निबन्धक, सहकारिता, उ0प्र0 लखनऊ।

9/12/16

संयुक्त आयुक्त एवं संयुक्त निबन्धक/
अपर आयुक्त एंव अपर निबन्धक
सहकारिता
लखनऊ मण्डल, लखनऊ

कार्यालय उ.प्र. कोआपरेटिव यूनियन लि. 14, डा. अम्बेडकर मार्ग, लखनऊ

Scanned with OKEN Scanner

उ0प्र0 कोआपरेटिव यूनियन लि0 लखनऊ की उपविधि सं0-3(अ) उद्देश्य के अन्तर्गत अधोलिखित प्राविधान निर्धारित किया गया ।

निर्धारित प्राविधान	संशोधन जो निर्धारित किया गया है।
(3) (अ)उद्देश्य	(3)(अ)उद्देश्य
1-सहकारी आन्दोलन का विकास करना उसे मजबूत बनाना और उसकी अभिरक्षा करना, सहकारिता को इसके विभिन्न रूपों में सुसंगठित करना और उसकी समुन्नति करना, सहकारी नीति सम्बन्धी विषयों में सहकारी विभाग को सुझाव देना।	यथावत
2-यूनियन की गतिविधियों का (अ) भारत या भारतेतर ऐसे सहकारी संगठनों के साथ तथा, (ब) किसी राज्य या केन्द्रीय सरकार के ऐसे विभागों के साथ समापदीकरण स्थापित करना जिनके उद्देश्य पूर्णतः या आंशिक रूप में यूनियन के उद्देश्यों के समान हों।	यथावत
3-सामान्य प्रयासों की सफलता हेतु राज्य भरकर सहकारी संस्थाओं का एक दूसरे के निकट सम्पर्क में लाना और उनके मध्य सामुदायिक लाभ की भावना उत्पन्न करना।	यथावत
4-सहकारी सिद्धान्तों एवं प्रयोगों का प्रचार करने तथा उन्हें लोकप्रिय बनाने हेतु आवश्यक कदम उठाना और इसके लिए एक मुद्रणालय (छापाखाना) तथा एक पुस्तकालय का निर्माण करना, सहकारिता एवं ग्राम्य विकास तथा उनसे सम्बन्धित विषयों पर समाचार पत्रों एवं अन्य	यथावत

उत्तर प्रदेश सहकारी ... निगम लि0 (मुहर)

कार्यालय उ.प्र. कोआपरेटिव यूनियन लि. 14, ... लखनऊ (मुहर)

हित का प्रकाशन करना और सहकारिता एवं उसके सहयोगी विषयों से सम्बन्धित दृश्य श्रव्य साधनों जैसे चलचित्रों आदि के उत्पादन की व्यवस्था करना और सहकारी प्रचार वाहनों के रखरखाव की व्यवस्था करना एवं स्वयं उनको रखना और उनका खर्च उठाना, सम्मेलन, नाटक, प्रदर्शनियों और वाद विवाद एवं लेख प्रतियोगिताएँ तथा अध्ययन भ्रमण गोष्ठियाँ संगठित करना।

5– सहकारी समितियों के वैतनिक तथा अवैतनिक कार्य–कर्ताओं तथा निबन्धक की अनुमति से अन्य सम्बन्धित गैर सहकारी संस्थाओं के कर्मचारियों, यदि सम्भव हो, को प्रशिक्षण सुविधा प्रदान करना। इस प्रयोजन हेतु सहकारी प्रशिक्षण केन्द्रों का धारण, संचालन, प्रशासन एवं नियंत्रण करना, पाठयक्रम तैयार करना, परीक्षा लेना तथा प्रमाण पत्र देना। यथावत

6– सहकारी समितियों के सदस्यों, सम्भावित सदस्यों, पदाधिकारियों, कर्मचारियों एवं युवकों व महिलाओं को तथा विद्यालयों व अन्य संगठनों में सहकारी दर्शन सिद्धान्त एंव व्यवहार की शिक्षा की व्यवस्था हेतु सहकारी शिक्षा कार्यक्रम का कार्यान्वयन करना। इस प्रयोजन हेतु सर्किल इकाइयों की स्थापना, संचालन एवं प्रशासन करना। यथावत

7– सहकारिता से सम्बद्ध समस्याओं के अध्ययन तथा उनसे सम्बन्धित शोध कार्य को प्रोत्साहित करना। यथावत

कार्यालय उ.प्र. कोआपरेटिव यूनियन लि. 14, डा. अम्बेडकर मार्ग, लखनऊ

Scanned with OKEN Scanner

सहकारी समितियों के सदस्यों में नैतिक, तिक एवं सामाजिक सुधार लाने का प्रचार करना।	यथावत
–अधिनियम एवं नियमों में की गयी व्यवस्था के अनुसार यूनियन के समस्त कर्मचारियों के लिये …चेष्ठ निधि की स्थापना करना तथा उसके रखरखाव की व्यवस्था करना।	यथावत
10–इन उपविधियों के अनुसार यूनियन की आय के साधनों की वृद्धि करना तथा इस प्रकार बढ़ायी हुयी आय का उचित उपयोग करना।	यथावत
अ(ii) सामान्य / जीवन बीमा सम्बन्धी व्यवसाय / कार्य किसी बीमा कम्पनी की एजेंसी लेकर अथवा बीमा कम्पनी के रूप में कार्य करना	यथावत
	11–सरकार द्वारा घोषित मूल्य [illegible] योजना के अन्तर्गत धान एवं गेहूं क्रय [illegible] के रूप में कार्य करना।

उ0प्र0 कोआपरेटिव यूनियन लि0 लखनऊ निबन्धन सं0 391 जिला लखनऊ की निबन्धित उपविधि संख्या (3) (अ) में बिन्दु सं0–11 की नियमतः रजिस्ट्री दिनांक 09.12.2016 को की गयी।

9/12/16

संयुक्त आयुक्त एवं संयुक्त निबन्धक
अपर आयुक्त एवं अपर निबन्धक
सहकारिता
लखनऊ मण्डल, लखनऊ

(मुहर: अपर आयुक्त एवं संयुक्त निबन्धक सहकारिता, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ)

(मुहर: कार्यालय उ.प्र. कोआपरेटिव यूनियन लि., 14 डा. अम्बेडकर मार्ग, लखनऊ)